बाल विवाह

मुद्दा / विश्लेषण	अनुप्रयोग/ विचार
विषय: बाल विवाह	GS-I- समाज
संदर्भ: ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि इस वर्ष की समाप्ति तक कम से कम आधा मिलियन लड़कियों को जबरन बाल विवाह के शिकार होने का खतरा है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट अनुसार अगले पांच वर्षों में महामारी के कारण 25 लाख लड़कियों की शादी जल्दी हो सकती है।	भूमिका
महामारी और बाल विवाह ● **बढ़ी हुई गरीबी का सीधा संबंध बाल विवाह से है:** महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट में, कमजोर परिवारों को एक बालिका और भूख और अभाव की संभावना के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है। बालिका को एक बोझ समझा जाता है, जिससे वह जल्दी विवाह के प्रति संवेदनशील हो जाती है। ● **विवाह को सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है:** कई सर्वेक्षणों में माता-पिता द्वारा उद्धृत एक कारण यह है कि विवाह एक ऐसे समय में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है, जब कई युवा नौकरी से बाहर हैं और युवा लड़कियों के लिए खतरा बन रहे हैं। ● **बाधित शिक्षा:** स्कूल कब खुलेंगे, इस बारे में इतनी अनिश्चितता के साथ, लड़कियों के स्कूल नहीं लौटने की पूरी संभावना है और इससे उनकी जल्दी शादी होने का खतरा बढ़ जाता है। ● **काउंसलर तक पहुंच की कमी:** स्कूलों के सुरक्षा कवच के बिना, बालिकाओं को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है एक शिक्षक या परामर्शदाता के साथ किसी भी संभावित संचार के कटने की स्थिति बन चुकी है। उनमें से अधिकांश के पास चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंच नहीं है, हालांकि सरकार ने इन्हें स्थापित किया है।	COVID-19 महामारी से बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों को बाधित करने और 2020 और 2030 के बीच 13 मिलियन अधिक लड़कियों को जल्दी विवाह के लिए मजबूर करने का अनुमान है। बाल विवाह में वृद्धि के साक्ष्य पहले से ही इथियोपिया, केन्या, मलावी और नेपाल जैसे स्थानों से सामने आ रहे हैं।

बाल विवाह के परिणाम

- बाल विवाह न केवल लड़कियों के मानवाधिकारों और उनके बच्चों का उल्लंघन है, बल्कि देशों के लिए एक पर्याप्त आर्थिक बोझ का भी प्रतिनिधित्व करता है (प्रारंभिक बाल विवाह => अधिक बच्चों की प्रवृत्ति => उच्च जनसंख्या वृद्धि)
- बाल वधूओं को अक्सर **सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा** के उनके अधिकारों और अपने जीवन के विकल्प और खुद निर्णय लेने से वंचित कर दिया जाता है।
- बाल विवाह अपने साथ **समय पूर्व गर्भावस्था** की संभावना लेकर आता है जिससे लड़की और उसके अजन्मे बच्चे का जीवन बहुत अधिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है।
- कम उम्र में शादी करने से **घरेलू गुलामी, पति-पत्नी के बीच हिंसा** और खराब स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों में शारीरिक या यौन अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव होने की संभावना लगभग 50% अधिक होती है।

बाल विवाह रिपोर्ट के आर्थिक प्रभावों का अनुमान है कि 13 साल की उम्र में शादी करने वाली लड़की के जीवनकाल में 18 साल या उसके बाद शादी करने वाली लड़की की तुलना में औसतन 26 प्रतिशत अधिक बच्चे होने की संभावना है।

बाल विवाह से निपटने के लिए भारत में संस्थागत तंत्र

किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015 को भारत के बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न संस्थानों का निर्माण किया गया है।

- **जिला बाल संरक्षण इकाई** देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें बचाने के लिए जिम्मेदार है।
- **जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति (CWC)** प्रत्येक बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है।

यूनिसेफ के अनुसार, भारत दुनिया की किशोर आबादी का 20% से अधिक और दक्षिण एशिया में बाल विवाह की सबसे अधिक संख्या रखता है।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा का शिकार हुई केवल 14% महिलाओं ने पुलिस सहायता की मांग की, और उनमें से केवल 3% को ही पुलिस सहायता प्राप्त हुई है।

• जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में **जिला बाल संरक्षण समिति** बाल अधिकार सुनिश्चित करने से संबंधित कार्यों की समीक्षा और निगरानी के लिए जिला स्तर पर नोडल संगठन है। **मौजूदा प्रणाली के साथ मुद्दे** • प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शासनादेश के साथ बाल संरक्षण समितियां हैं। लेकिन उनके उदासीन रवैये और निष्क्रियता के कारण इन बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही है। • जिन बच्चों की शादियां सरकार/गैर सरकारी संगठनों द्वारा रोकी जाती हैं, उन्हें CWC के सामने ज्यादातर मामलों में पेश नहीं किया जा रहा है। • अगर उन्हें CWC के सामने पेश किया जाता है तो उन्हें अक्सर उनके माता-पिता के पास वापस भेज दिया जाता है। इसके चलते ऐसी लड़कियों की जबरन शादी गुपचुप तरीके से की जाती है। दूसरों को उसी सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया है, जो हताशा और चिंता के लिए अग्रणी है। • अपने पतियों द्वारा पीटा जाने वाली बाल बधुओं को अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है (जो अन्य चीजों के साथ घरेलू हिंसा पर डेटा एकत्र करता है).	बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।
लड़कियों की शैक्षिक प्राप्ति और स्वास्थ्य में सुधार, साथ ही आय में वृद्धि, निर्णय लेने की शक्ति और उनके प्रजनन अधिकारों पर नियंत्रण, एक साथ मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी पर सकारात्मक प्रभाव के साथ, बाल विवाह को समाप्त करने के सकारात्मक परिणाम हैं।	निष्कर्ष

एक साथ चुनाव

मुद्दा / विश्लेषण	अनुप्रयोग/मूल्यवर्द्धन/विचार
विषय: एक साथ चुनाव	जीएस-II-राजव्यवस्था
पृष्ठभूमि: • संविधान को अपनाने के बाद, 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। • हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण,यह चक्र पहली बार बाधित हुआ। • पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जब किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा या दोनों का चुनाव नहीं हुआ हो। **परिभाषा** : "एक साथ चुनाव" को भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाए।	**संविधान का अनुच्छेद 83(2)** लोकसभा के लिए पांच साल की सामान्य अवधि प्रदान करता है)। अनुच्छेद 172 (1) राज्य विधान सभा के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से समान कार्यकाल का प्रावधान करता है। दोनों को उनकी सामान्य शर्तों से पहले भंग किया जा सकता है।
एक साथ चुनाव के लिए तर्क • **विकास में कम व्यवधान:** आदर्श आचार संहिता को बार-बार लागू करने से विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाता है। • **लोकलुभावनवाद को कम करता है** : बार-बार चुनाव, सरकारों और राजनीतिक दलों को सतत "अभियान" मोड में रखते हैं। चुनावी मजबूरियां नीति निर्माण का फोकस बदल देती हैं। अदूरदर्शी लोकलुभावन और "राजनीतिक रूप से सुरक्षित" उपायों को "कठिन" दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों पर उच्च प्राथमिकता दी जाती है। • **कम चुनाव खर्च** : एक साथ चुनाव कराने से हर साल अलग-अलग चुनाव कराने में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी । • **सामाजिक तनाव को कम करता है** चुनाव भी ऐसी घटनाओं का ध्रुवीकरण कर रहे हैं जो जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों को बनाये रखते हैं क्योंकि उम्मीदवार प्रायः चुनावी लाभ के लिए 'राजनीतिक रूप से बात करने के लिए विवश' हो जाते हैं। • **जनशक्ति का इष्टतम उपयोग** : एक साथ चुनाव महत्वपूर्ण जनशक्ति को मुक्त कर देंगे जो अक्सर चुनाव सम्बन्धी कर्तव्यों पर लंबे समय तक तैनात रहते हैं। उदाहरण के लिए, 2014 का लोकसभा चुनाव (चार विधानसभा	एक साथ चुनावों पर विधि आयोग का कार्य पत्र इसे संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों के संशोधन के माध्यम से बहाल किया जा सकता है। 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास के रचनात्मक वोट से बदला जा सकता है।

चुनावों के साथ हुआ) नौ चरणों में फैला था और 1,077 इन-सीटू कंपनियां और सीएपीएफ की 1,349 मोबाइल कंपनियों को तैनात किया गया था।	
चुनौतियाँ • **संवैधानिकता** : विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न विधानसभाओं और संसद के कार्यकाल के संबंध में मौजूदा संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए इसकी क्षमता पर सवाल उठाया है (अनुच्छेद 83 (2) और 172 (1)) • **परिचालन व्यवहार्यता:** ऐसे प्रश्न हैं - विधानसभाओं/लोकसभा की टर्म को पहली बार कैसे समकालिक किया जाएगा? क्या उपरोक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा टर्म को बढ़ाना या घटाना संभव होगा? यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो सत्ताधारी दल या गठबंधन के कार्यकाल के बीच में बहुमत खोने की स्थिति में क्या होगा? • **मतदाता व्यवहार पर प्रभाव:** कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह मतदाता के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि मतदाता राज्य के चुनावों के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेंगे और इससे बड़े राष्ट्रीय दल राज्य और लोकसभा दोनों चुनाव जीत सकते हैं जिससे क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। . • **लोकतंत्र की गहराई को उलट देता है** : क्षेत्रीय दलों के लिए गुंजाइश का गला घोंटने से, जो स्थानीय आकांक्षाओं / मुद्दों को एक साथ दर्शाते हैं, एक साथ चुनाव कराये जाने की यह प्रक्रिया लोकतंत्र की गहराई प्राप्त कर सकने की प्रक्रिया को उलट देंगे। • **कम जवाबदेही** : हर 5 साल में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करना राजनेताओं की जवाबदेही को बढ़ाता है और उन्हें अपने क्रियाकलापों के प्रति अति-सतर्क रखता है • **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** : यह तर्क दिया जाता है कि चुनाव के दौरान रोजगार के कई अवसर भी सामने आते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलता है। एक साथ चुनाव, लोगों को इन रोजगार के अवसरों से भी वंचित कर सकते हैं।	भारत में मतदान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र को गहराई देते हैं या इसे खंडित करते हैं? अपनी राय हमें टीम@iasbaba.com पर मेल करें। राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास पल्शिकर कहते हैं, प्रारंभिक वर्षों में एक साथ या समकालिक चुनाव एक "इतिहास की दुर्घटना" थी। आदर्श आचार संहिता सामान्य प्रशासन या आपात स्थिति से निपटने के रास्ते में नहीं आती है। यह चुनाव से ठीक पहले परियोजनाओं के एक समूह की घोषणा करके वोटों को "खरीदने" की सरकार की इच्छा को रोकता है।
'वन नेशन वन पोल' भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा विचार है, लेकिन बहस और चर्चा में सभी हितधारकों को शामिल करके इसकी व्यवहार्यता की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। इस विचार के लिए अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति और समर्थन की आवश्यकता होगी।	निष्कर्ष